प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**...............
2. प्र.इ.रि.सं.......................204 / 2023.............. दिनांक ....29/7/2023..................
   (I) *अधिनियम –**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** धारा – 7
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम............................–........................... धाराएं.....................–....................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....1139.......समय..........10:55 P.M.............
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– शुक्रवार, **दिनांक 28.07.2023 वक्त 12:44 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – दिनांक 24.07.2023 वक्त 02:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – लगभग 750 मीटर, उत्तर दिशा
   (ब) पता – कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं...........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–...............................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री वासुदेव शर्मा**
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री पूर्णाराम
   (स) जन्म तिथि/आयु – **33 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – कृषि कार्य
   (ल) पता – **गांव बामनवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1.श्री आशीष तंबोली पुत्र श्री नवरतन तंबोली जाति तम्बोली उम्र–34 वर्ष निवासी सैन मन्दिर के पास, लक्ष्मीनाथजी घाटी बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...................................
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–.....................................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री वासूदेव शर्मा पुत्र श्री पूर्णाराम जाति ब्राह्मण उम्र–33 वर्ष निवासी बामनवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर ने दिनांक 24.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय मे वक्त 02:15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "सेवामें श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, विषय–उप पंजीयक कार्यालय बीकानेर रिश्वत खोर कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने के संबंध में, महोदय निवेदन है कि वर्ष 2007 में मेरे पिताजी के नाम से गांव किस्तूरीया, हलका सोढवाली, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के खसरा सं. 10 व 29 में 50 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें से वर्ष 2007 में मेरे पिताजी द्वारा 18 बीघा भूमि को जयकिशन व जनत बानो को बेचा था। परंतु पिताजी अनपढ थे जिसके कारण से बैयनामा में 50 बीघा पूरी भूमि का ईंद्राज हो गया व अभी हमारा इसमें कुछ कागजी विवाद चल रहा है। उक्त पूरी 50 बीघा भूमि का कब्जा हमारे पास आज भी है। इस विवाद के निपटारे के लिए मैंने दिनांक 21.07.2023 को उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर में जाकर एक उक्त भूमि की 3 रजिस्टियां प्राप्त करने के लिए 100 रुपये के 3 स्टांप के साथ 3 आवेदन फार्म भरकर एक कर्मचारी बाबू को वहां पर दिए थे। उस कर्मचारी को दिनांक 22.07.2023 को उनके कार्यालय में रजिस्ट्रियां

प्राप्त करने के लिए मिला तो उसने मुझसे प्रति रजिस्टियां प्रमाणित प्रति देने के लिए 500 रुपये खर्चे के हिसाब से कुल 1500 रुपये रिश्वत के रुप में मांगे जबकि इस काम की कोई सरकारी फीस नहीं होती है। मैं इस कर्मचारी को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उसे रिश्वत लेने पर रंगे हाथों पकड़वाने की कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। दिनांक 24.07.2023, वासुदेव शर्मा पुत्र पूर्णाराम, निवासी बामनवाली, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, मो. नं. 8144888776"

मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, रिपोर्ट को पढकर परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक के पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 12 तक पढा हुआ हूं तथा खेती बाड़ी का काम करता हूं, आपको दी गई रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। मुझसे रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी का नाम अभी तक नहीं जानता हूं। उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रियां निकलवाने के लिए दिए गए आवेदन पत्र के साथ सरकारी फीस के तौर पर 100 रुपये का स्टांप लगाना पड़ता है जो कि मैंने मेरे तीनों आवेदनों के साथ लगाए हुए हैं। उक्त कर्मचारी द्वारा खर्चे के तौर पर मांगे जा रहे 1500 रुपये रिश्वत राशि है जो कि मैं अपने जायज काम के लिए उसे नहीं देना चाहता हूं। मेरा उक्त उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के कर्मचारी से कोई उधारी का लेनदेन नहीं चल रहा है। मेरी उक्त कर्मचारी से कोई पुरानी शत्रुता नहीं है। मैं उक्त कर्मचारी को मुझसे रिश्वत प्राप्त करने पर ए.सी.बी. से कार्यवाही करवाकर ट्रैप करवाना चाहता हूं। आवश्यकता होने पर मैं मेरे पिताजी की ओर से भी इस कार्यवाही के संबंध में अधिकार पत्र पेश कर दूंगा। रिपोर्ट परिवादी एवं पूछताछ से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया जाने से परिवादी श्री वासुदेव शर्मा को रिश्वत मांग व सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रकिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही उक्त कर्मचारी से उनके कार्यालय में मुलाकात करके मेरे काम के संबंध में बात करुंगा और वार्ता के दौरान उनके द्वारा मुझसे मांगी जा रही रिश्वत के तथ्यों का सत्यापन करवा दूंगा। उक्त तथ्यों के संपूर्ण हालात की जानकारी श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई व मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

वक्त 02:55 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात् श्री मनोहरलाल कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री वासुदेव शर्मा व श्री मनोहरलाल कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। तत्पश्चात श्री मनोहरलाल कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ सब रजिस्ट्रार, बीकानेर कार्यालय के पास पहुंचकर सील्ड मेमोरी कार्ड को खोलकर डीवीआर में उपयोग में लेते हुए आरोपी द्वारा की जा रही रिश्वत मांग की सत्यापन कार्यवाही करवाएं। श्री मनोहरलाल कानि. को उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री वासुदेव शर्मा के साथ ब्यूरो चौकी से सब रजिस्ट्रार, कार्यालय बीकानेर कार्यालय के लिए समय 03:05 पीएम पर रवाना किया गया। वक्त 03:40 पी.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. व परिवादी श्री वासुदेव शर्मा ब्यूरो कार्यालय पर मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए हैं। श्री मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी से पूछताछ में परिवादी ने बताया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर श्री मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाकर चालू करके मुझे सत्यापन कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के पास अपनी मोटरसाइकिल से ले जाकर छोड़ा था। मैं रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय में पहुंचकर अंडरग्राउंड रिकॉर्ड रुम में गया तो वह कर्मचारी मुझे वहां पर उपस्थित मिला जिसका नाम मैंने पूछा तो उसने अपना नाम "आशीष" बताया। आरोपी कर्मचारी आशीष ने मुझे तीनों आवेदन की तीन रसीद कटवाने का और बोला है तथा मेरे तीनों आवेदन फार्म मुझे लौटा दिए हैं। मैंने दो-तीन बार उनके द्वारा मुझसे पहले मांगी गई 1500 रुपये रिश्वत राशि को सत्यापित करवाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर मैं वहां से रवाना होने लगा तो उन्होंने मुझे वापस बुलाने के लिए आवाज भी दी थी तो मैं वहां

पर रुका नहीं और बाद में आने का कह दिया था। तत्पश्चात् मैं वहां से रवाना होकर गोपनीय स्थान पर श्री मनोहरलाल कानि. के साथ मोटरसाइकिल से बैठकर गोपनीय स्थान पर वापस पहुंचकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को श्री मनोहरलाल कानि. ने मुझसे प्राप्त करके बंद कर लिया था। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा बार–बार रिश्वत के बारे में पूछने पर आरोपी आशीष को संभवतः मुझ पर कोई शक हो गया था। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त ऑडियो क्लिप को चलाकर सुना गया तो परिवादी के बताए तथ्यों की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा। समय 04:10 पीएम पर परिवादी ने बताया कि अब मैं अपने आवेदन फार्म से संबंधी रसीद कटवाने की कार्यवाही आज ही करवाकर उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर में जमा करवा दूंगा। इस दौरान आरोपी अधिकारी श्री आशीष से मिलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यदि मुझे आरोपी कर्मचारी आशीष से मिलने की आवश्यकता हुई तो मैं पुनः आपके पास आकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सहित आरोपी आशीष से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवा दूंगा। आरोपी कर्मचारी आशीष द्वारा आज परिवादी को लौटाए गए आवेदन दस्तावेजों की फोटोप्रति कुल 9 पृष्ठ परिवादी से प्राप्त कर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। परिवादी को गोपनीयता संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर उपर्युक्त कार्य हेतु ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

वक्त 05:25 पीएम पर परिवादी श्री वासुदेव ने मुझ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अवगत करवाया कि मेरे काम से संबंधित ईमित्र से रसीद कटवाने के बाद मैं उप पंजीयक कार्यालय बीकानेर में गया तो उन्होंने मुझे यह रसीद व बाकी कागज अंडरग्राउंड में जाकर आशीष कर्मचारी को देने के लिए बोला है। मैं अब पुनः कर्मचारी श्री आशीष से मिलकर उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के संबंध में सत्यापन करवा सकता हूं। इस पर वक्त 05:40 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने मनोहरलाल कानि. को बुलवाकर अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को मनोहरलाल कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के साथ ब्यूरो चौकी से उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के लिए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया।

वक्त 06:10 पीएम पर श्री मनोहरल कानि. व परिवादी श्री वासुदेव ब्यूरो कार्यालय में मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए। श्री मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया। परिवादी श्री वासुदेव ने बताया कि श्री मनोहरलाल कानि के साथ ब्यूरो चौकी से रवाना होकर गोपनीय स्थान पहुचे जहां से मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके मुझे सत्यापन कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के पास अपनी मोटरसाइकिल से ले जाकर छोड़ा था। मैं रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय में पहुंचकर अंडरग्राउंड रिकॉर्ड रुम में गया तो कर्मचारी आशीष मुझे वहां पर उपस्थित मिला। मैंने उसे मेरे आवेदन मय कागज व ईमित्र वाली रसीद उसे सौंपी और काम के बारे में बात की तो उसने पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाकर हस्ताक्षर हेतु अधिकारी उपलब्ध होने की जानकारी ली और मुझे ग्राउंड फ्लोर पर चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद कर्मचारी आशीष वापस आया और मुझे लेकर अपने अंडरग्राउंड हॉल में ले गया। वहां पर मैंने उससे मेरे काम के बारे में बात की और उसने मुझसे 1500 रुपये में से रिश्वत कम करके 1000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उसने मुझे गूगल पे से भुगतान हेतु कहा तो पहले उसने गूगल पे नंबर मुझे दिए। फिर मैंने उसे कैश/नगद ही 1000 रुपये देने के लिए कहा तो उसने सिर हिलाकर नगद रुपये लेने के लिए सहमति दी थी। कर्मचारी आशीष ने मेरा काम बुधवार या शुक्रवार को कर देने के लिए कहा तथा अधिक संभावना शुक्रवार को कर देने की है। तत्पश्चात् मैं वहां से रवाना होकर श्री मनोहरलाल कानि. के साथ मोटरसाइकिल से बैठकर गोपनीय स्थान पर वापस पहुंचकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को श्री मनोहरलाल कानि. ने मुझसे प्राप्त करके बंद कर लिया था। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी के बताए तथ्यों की पुष्टि होनी पाई गई। आरोपी श्री आशीष द्वारा परिवादी से 1000 रुपये रिश्वत मांग के तथ्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान पाए गए तथा साथ ही आरोपी श्री आशीष द्वारा परिवादी श्री वासुदेव को इस हेतु गूगल–पे नंबर 8233180775 भी दिए गए। परिवादी को अब तक रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरा अब गांव जाना अति आवश्यक है मैं कल दिनांक 25.07.2023 को प्रातः 11:00 बजे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो

जाउंगा। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री वासुदेव से ईमित्र से 110 रुपये के हिसाब से कटवाई गई तीन आवेदन पत्रों से संबंधित तीन रसीदों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। तत्पश्चात परिवादी को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 25.07.2023 को वक्त 12:45 पी.एम. पर परिवादी श्री वासुदेव ब्यूरो कार्यालय में मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुआ। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड आलमारी से निकाला जाकर कार्यालय कंप्यूटर में कनैक्ट किया जाकर दिनांक 24.07.2023 को रिकॉर्डेड दो ऑडियो क्लिप की HASH VALUE चैक करने पर निम्नलिखित HASH VALUE होनी पाई गई–

S. N.	FILE NAME	DATE AND TIME OF CREATION	HASH VALUE (SHA-1)
1	230724_1523	24-07-2023 15:23	78afd4fae175327e05ff18d46f5571901a46d6c9
2	230724_1745	24-07-2023 17:45	cfa4dacc8cb1abb9dd18b68e472ca75038bf5052

वक्त 01:15 पी.एम. पर कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड कार्यालय कंप्यूटर से कनैक्ट कर परिवादी श्री वासुदेव की उपस्थिति में श्री मनोहरलाल कानि. की सहायता से दोनों ऑडियो फाईल की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। वक्त 07:40 पी.एम. तक दोनों ऑडियो फाईल की विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही पत्रावली की गई। कार्यवाही में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में अग्रतर कार्यवाही हेतु रहने दिया जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक के द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट व परिवादी के बताए तथ्यों के अनुसार अब तक पाया गया कि आरोपी द्वारा परिवादी से 1000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई है जो आरोपी द्वारा कैश प्राप्त की जाएगी अथवा गूगल–पे नंबर 8233180775 पर प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात् मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री आशीष के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही आयोजित किए जाने के बारे में परिवादी श्री वासुदेव को अवगत करवाया गया तो परिवादी श्री वासुदेव द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री आशीष को 1000 रुपये रिश्वत राशि में ट्रैप करवाने के लिए सहमति प्रदान की गई। आरोपी कर्मचारी श्री आशीष के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आरोपी कर्मचारी द्वारा रिश्वत राशि नगद अथवा गूगल पे से प्राप्त करने के संबंध में परिवादी से विचार विमर्श किया तो परिवादी ने इस बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी कर्मचारी श्री आशीष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अंत में मुझसे 1000 रुपये कैश अर्थात् नगद प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया था इसलिए आरोपी मुझसे 1000 रुपये रिश्वत राशि नगद ही प्राप्त कर लेगा, फिर भी यदि आरोपी द्वारा गूगल पे नंबर पर रिश्वत राशि डालने के लिए मुझे कहा जाएगा तो मैं आरोपी से इसके लिए समय लेकर गोपनीयता रखते हुए आपको सूचित कर दूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही हेतु परिवादी को 1000 रुपये रिश्वत की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए गए। फर्द ट्रांसक्रिप्ट व परिवादी के बताए अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी को नकल दस्तावेज दिए जाने हेतु बुधवार दिनांक 26.07.23, गुरुवार दिनांक 27.07.23, शुक्रवार दिनांक 28.07.23 को परिवादी के नकल दस्तावेज तैयार करवाए जा सकते थे तथा अधिक संभावना शुक्रवार दिनांक 28.07.23 की प्रतीत हुई थी। परिवादी से इस संबंध में विचार विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि यदि मैं शुक्रवार से पूर्व आरोपी के पास जाउंगा तो संभव है कि मेरा काम नहीं हुआ हो इसलिए शुक्रवार को ही जाना उचित होगा। परिवादी के बताए अनुसार परिवादी को शुक्रवार दिनांक 28.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए तथा ट्रैप कार्यवाही संबंधी अन्य आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाकर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय से समय 07:55 पीएम पर प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 27.07.2023 को गोपनीय कार्यवाही हेतु तलबशुदा राजकीय कर्मचारी श्री अरुण कुमार गुप्ता व्याख्याता, रसायन विज्ञान, कार्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान एवं अश्विनी कुमार वरिष्ठ अध्यापक, कार्यालय निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर उपस्थित आये जिन्हे दिनांक 28.07.2023 को समय 09:30 एएम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाकर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। वक्त 09:01 पीएम पर परिवादी श्री वासुदेव के मोबाइल नंबर 8144888776 पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा

वार्ता की जाकर आरोपी कर्मचारी आशीष के विरूद्ध दिनांक 28.07.2023 को प्रस्तावित ट्रैप कार्यवाही के बारे में विचार विमर्श किया गया व उचित निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी को प्रातः 09:30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर आवश्यक रुप से उपस्थिति हेतु अवगत करवाया गया।

दिनांक 28.07.2023 को वक्त 10:10 एएम पर पाबंदशुदा राजकीय कर्मचारी श्री अरुण कुमार गुप्ता–व्याख्याता व श्री अश्विनी कुमार– वरिष्ठ अध्यापक ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए हैं जिन्हें ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। वक्त 11:05 एएम पर परिवादी श्री वासुदेव ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। परिवादी श्री वासुदेव को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। उपस्थित दोनों राजकीय कर्मचारीगण को ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् उपर्युक्त दोनों साक्षिगण व परिवादी श्री वासुदेव का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का साक्षिगण को अवलोकन करवाया जाकर रिश्वत मांग आदि तथ्यों से अवगत करवाया गया।

वक्त 11:15 ए.एम. पर परिवादी श्री वासुदेव ने मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु 500 रूपये का एक नोट व 100–100 रूपये के 05 नोट, कुल एक हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7NC 311521
2.	एक 100 रूपये का नोट नम्बर	9DM 725632
3.	एक 100 रूपये का नोट नम्बर	6AE 048671
4.	एक 100 रूपये का नोट नम्बर	2AL 452007
5.	एक 100 रूपये का नोट नम्बर	3CS 676446
6.	एक 100 रूपये का नोट नम्बर	6KN 447144

कार्यालय के मालखाना से श्री रतन सिंह कानि. 151 कार्यालय हाजा से फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर उक्त कानि. से नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री वासुदेव शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री अरूण कुमार गुप्ता से लिवाई गई तो कोई आपत्ति जनक सामान नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहने हुए पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में श्री रतन सिह कानि. कार्यालय हाजा से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी कर्मचारी श्री आशीष, उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, श्री आशीष रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन–देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने जूते के फीते बांधकर ईशारा करें अथवा अपने मोबाइल नंबर से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 9785180848 पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करें। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन धोल के गिलास में श्री रतन सिंह कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी रासायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री रतन सिंह कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी श्री रतन सिंह कानि. से वापिस मालखाना में रखवायी गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक ने अपनी

आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री वासुदेव को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किया गया।

वक्त 12:20 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध कर्मचारी श्री आशीष, उप पंजीयक कार्यालय, बीकानेर हेतु बजरंग सिंह हैड कानि. 54, नरेंद्र सिंह हैड कानि 87, राजवीर सिंह हैड कानि. 115 अनिल कुमार कानि. 186, हरीराम कानि. 210, मनोहरलाल कानि. 115, अमरीक कानि. 433 दोनों साक्षिगण श्री अरुण कुमार गुप्ता व्याख्याता व श्री अश्विनी कुमार वरिष्ठ अध्यापक व परिवादी श्री वासुदेव सहित एक निजी कार व तीन निजी मोटरसाइकिल, लैपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रैप बॉक्स सामग्री ब्यूरो चौकी बीकानेर से एस.आर. कार्यालय बीकानेर के लिए रवाना हुआ। श्री मनोहरलाल कानि. को परिवादी के पास स्थित डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को चालू करवाया जाकर रवाना करने के निर्देश प्रदान किए गए। वक्त 12:25 पीएम पर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहने के दौरान परिवादी श्री वासुदेव ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिश्वत लेनदेन वाली जगह से जूते का फीता बांधने का ईशारा करने की संभावना कम है। मैं आरोपी श्री आशीष को रिश्वत देने के बाद श्री मनोहरलाल कानि. को या आपको मिस कॉल/कॉल करके ईशारा कर दूंगा। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मनोहरलाल कानि. को बताया कि यदि परिवादी द्वारा आपको मिस कॉल/कॉल की जाती है तो अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को कॉल करके बताएं व परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड चालू करवाकर रवाना करने के बाद मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करें।

समय 12:36 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल कॉल परिवादी को कुछ देर पूर्व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके रवाना कर देने की सूचना प्रदान की।

वक्त 12:44 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115 ने अपने मोबाईल नंबर 9928369006 से मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के मोबाईल नंबर 9785180848 पर कॉल करके बताया कि साहब परिवादी श्री वासुदेव ने ट्रेप का ईशारा मेरे मोबाईल पर मिसकॉल करके किया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री अरूण कुमार, अश्विनी कुमार एवं हमराही ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षकगण, श्री अमरीक सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री मनोहरलाल के अविलम्ब कार्यालय उप पंजीयक बीकानेर के हमराही सभी को साथ लेकर उप पंजीयक कार्यालय के अंडरग्राउण्ड में बने रिकॉर्ड रूम में पहुंचे, तो सामने एक टेबल कुर्सी लगी हुई के पास परिवादी श्री वासुदेव खड़ा हुआ व एक अन्य हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा मिला। जिससे मुझ पुलिस निरीक्षक ने नाम पूछा तो स्वयं का नाम आशीष बताया, मुझ पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय दिया जाकर आशीष को खड़े होने के लिए कहा तो खड़े होकर टेबिल पर रखी फाईल व उसके नीचे रखी रिश्वती राशि को घबराकर उठाने का प्रयास किया परंतु आरोपी को रोक लिया गया। इस दौरान टेबिल पर रखे कागज नीचे गिर गये तो टेबिल पर 500 रूपये के साथ कुछ नोट रखे हुए स्पष्ट दिखाई दिये। इस दौरान श्री मनोहरलाल कानि. को निर्देशित किया जाकर परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड प्राप्त कर बंद करवाया गया व प्राप्त कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री वासुदेव ने खड़े कर्मचारी आशीष की तरफ देखते हुए बताया कि साहब ये ही आशीष कर्मचारी है, जिसने मेरे से अभी अभी रिश्वत राशि एक हजार रूपये अपनी टेबल पर रखने का कहा, जिस पर मैंने इनके सामने लगी इस टेबल पर इनके कहने पर सामने दिखाई दे रहे नोट एक हजार रूपये इनकी टेबल पर रखे हैं। ये मेरे से रिश्वती राशि टेबल पर रखवाकर यहां सामने पड़े दस्तावेज में से मेरे से संबंधित नकलें मुझे देने के लिए अलग की थी। इसी दौरान मैंने श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल को मेरे मोबाईल से मिसकॉल कर दिया था। इस पर परिवादी के पास खड़े हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने पुनः अपना व हमराही स्टाफ का परिचय देते हुए आने का मकसद बताया तथा परिचय पूछने पर अपना नाम आशीष तम्बोली पुत्र श्री नवरतन तम्बोली, उम्र 34 वर्ष, निवासी सैन मंदिर के पास, लक्ष्मी नाथ जी की घाटी, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर होना व अंडरग्राउंड रिकॉर्ड रूम का प्रभारी होना बताया। श्री आशीष वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री वासुदेव से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई का पूछने पर श्री आशीष वरिष्ठ सहायक ने बताया कि साहब मैंने इससे कोई रिश्वत राशि नहीं ली, अभी अभी ये वासुदेव रिकॉर्ड रूम में मेरे पास आया और मेरे से नकलें तैयार होने का पूछने पर मैंने इनको बता दिया था कि

आपकी नकलें तैयार हो गई है ले जाओ, इस दौरान इस वासुदेव ने मेरी टेबल पर 500 रूपये के नोट के अंदर लिपटे कुछ पैसे रखे, ये पैसे रखने के लिए मैंने इनको नहीं कहा है, इन्होंने स्वतः ही ये पैसे मेरी टेबल पर रखे हैं। जिस पर मौजूदा परिवादी श्री वासुदेव ने स्वतः ही बताया कि साहब अभी अभी मैं इस रिकॉर्ड रूम मे इनके पास तीन रजिस्ट्रियों की नकल लेने आया था, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी नकलें देख लो और मेरे सामने देखते हुए रूपये देने का ईशारा किया तब मैंने पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकालकर इनकी तरफ किये तो इन्होंने धीमी आवाज में रख दो बोलते हुए ईशारा किया, जिस पर मैंने पूछा टेबल पर रख दूं क्या तो इन्होंने गर्दन हिलाकर कहा ठीक है तो मैने 1000 रूपये इनकी टेबिल पर रख दिये फिर इन्होने पैसो को छुपाने के लिए कुछ कागजात रिश्वत राशि के उपर रख दिये। मैंने रिश्वत मांग के अनुसरण में ही इनको आज तीन रजिस्ट्रियों की नकल देने की एवज में ही इनके कहे अनुसार एक हजार रूपये इनकी टेबल पर रखे थे, जो टेबल पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। रिश्वती राशि इन्होंने अपने हाथ में नहीं ली। इस पर टेबल पर पड़ी राशि गवाह श्री अश्विनी कुमार से उठवाकर गिनवाई गई तो गवाह ने गिनकर एक पांच सौ रूपये का नोट तथा 5 सौ-सौ रूपये के नोट कुल 1000/-रूपये होना बताया। दोनों गवाहान से पूर्व से बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नंबरों का मिलान करवाने पर गवाहान ने नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकसी के होना बताया। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत सफेद कपड़े के साथ सीलचिट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे में लिया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन के लिए एक साफ कांच के गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक से साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के गिलास में एक सफेद कपड़े की चिंदी को डूबोकर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल टेबल के ऊपरी भाग को दो तीन बार रगड़कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के रंगहीन घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कपड़े की चिंदी को सुखाकर चिंदी पर संबंधितों के हस्ताक्षकर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी आशीष ने दौराने मांग सत्यापन कार्यवाही परिवादी श्री वासुदेव को दिनांक 24.07.2023 को गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मोबाईल नंबर 8233180775 बताये थे उक्त मोबाईल नंबर के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए आरोपी आशीष ने बताया कि साहब ये मोबाईल नंबर आकाश गहलोत के हैं, जिसकी कचहरी परिसर, बीकानेर में फोटोस्टेट की दुकान है, जो मेरे पास नकल लेने अकसर आता रहता है, उसके नंबर पर रुपये डलवाने के लिए मैंने वासुदेव को दिनांक 24.07.2023 को कहा था, परंतु यह रिश्वत राशि नहीं थी। परिवादी श्री वासुदेव के कार्य के संबंध में पूछने पर आरोपी आशीष वरिष्ठ सहायक ने अपनी टेबल पर साईड में रखे दस्तावेज में से तीन दस्तावेज के सैट निकालकर पेश किये। परिवादी से संबंधित कार्य के संबंध में कुल दस्तावेज सैट क्रमशः दस्तावेज सं. 5999, 5999 एवं 1931 का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड रुम में कार्यवाही की लिखापढी किए जाने हेतु उपयुक्त सुविधा का अभाव होने से आरोपी की टेबल पर परिवादी से संबंधित रखी तीन दस्तावेज सहित आरोपी को हमराह सभी ट्रैप पार्टी सदस्यों के कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर के अन्य कक्ष में कार्यवाही की फर्दात तैयार की गई थी। रिकॉर्ड रुम को तालाबंद करवाया जाकर चाबी कार्यवाही के दौरान जरिये फर्द सुपुर्द कर गई थी। ट्रैप कार्यवाही के वजह सबूतों को सील करने में प्रयुक्त सील की फर्द नमूना सील तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के लंबित कार्य संबंधी दस्तावेजों की विस्तृत फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगी रिकॉर्ड तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रैप कार्यवाही के घटनास्थल का विस्तृत नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत फर्द गिरफ्तारी व कारण गिरफ्तारी पत्र अभियुक्त श्री आशीष तंबोली वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता मुर्तिब की गई। वक्त रिश्वत लेन देन रिकार्ड वार्ता की हैश वैल्यू चैक करने पर हैश वैल्यू 90ddd120bc2ab308400c52c48b3ab193f927b4cd पाई गई। संपूर्ण ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में दिनांक 24.07.2023 की दो ऑडियो फाईल व दिनांक 28.07.2023 को रिकॉर्ड एक ऑडियो फाईल सुरक्षित रिकॉर्ड थी। उक्त

सुरक्षित तीन ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को उसके प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नंबर 72 परिवादी व दोनों साक्षिगण के समक्ष तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मौका की कार्यवाही पूर्ण कर कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर से मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह, परिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं हमराही ब्यूरो स्टाफ के, प्रकरण के समस्त वजह सबूत, डीवीआर, निजी वाहनों से ब्यूरो चौकी के लिए रवाना होकर 08:00 पीएम पर कार्यालय हाजा पंहुचा। ट्रैप कार्यवाही में सीलशुदा वजह सबूत, डीवीआर श्री बजरंग सिंह हैड कानि. के जरिये सुरक्षित मालखाना जमा करवाए गए। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों को कार्यवाही से रुखसत किया गया। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि में थाना सदर की हवालात में जमा करवाया गया। दिनांक 29.07.2023 को आरोपी को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्रदान करने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर मे जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

इस प्रकरण उपर्युक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री वासुदेव शर्मा पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण, उम्र 33 वर्ष निवासी गांव बामनवाली, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने अपने पिताजी के नाम से गांव किस्तूरिया, हलका सोढवाली, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर में रह चुकी भूमि से संबंधित तीन रजिस्ट्रियां की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर में संपर्क किया था। जहां पर कार्यरत अभिलेख कक्ष प्रभारी श्री आशीष तंबोली–वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री वासुदेव शर्मा से प्रति रजिस्ट्री प्रमाणित प्रति देने के लिए 500 रुपये खर्चे के हिसाब से कुल 1500 रुपये रिश्वत के रुप में मांगे। उक्त आशय की रिपोर्ट परिवादी द्वारा दिनांक 24.07.2023 को भ्र.नि.ब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थित होकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रदान की। दिनांक 24.07.2023 को परिवादी से करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी उक्त रिश्वत राशि 1500 रुपये में से कम किए जाकर अंतिम रुप से 1000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त किए जान हेतु सहमत हुआ था। आरोपी श्री आशीष तंबोली–वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध दिनांक 28.07.2023 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा 1000 रुपये रिश्वत राशि अपने अभिलेख कक्ष में परिवादी से अपनी टेबल पर रखवाई जाकर प्राप्त की गई। रिश्वती राशि बरामदगी स्थल टेबल की धोवन कार्यवाही प्रकियानुसार की जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज आरोपी के कब्जे से बरामद हुए। आरोपी श्री आशीष–वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न तथा राजकीय शुल्क से भिन्न 1000 रुपये परिवादी से बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के तहत घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री आशीष तंबोली पुत्र श्री नवरतन तंबोली, उम्र 34 वर्ष, निवासी सैन मंदिर के पास, लक्ष्मी नाथ जी की घाटी, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर के विरुद्ध उपर्युक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित होगी।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में श्री आशीष तंबोली पुत्र श्री नवरतन तंबोली, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 204/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.7.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

कमांकः- 2438-47 दिनांकः 29.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

29.7.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।